

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अतहर आगिर उल शफि खान आई.ए.एस.
करण संख्या 31/2019

उनवान

1. जोध सिंह पिता भारत सिंह राजपुत निवासी पीपली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

बनाम

- 1 गोपाल सिंह पिता नारायण सिंह निवासी पीपली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
- 2 श्रीमति तारा देवी पत्नी सुरेश चन्द्र दरक निवासी पीपली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
- 3 लक्ष्मण सिंह पिता भारत सिंह राजपूत निवासी पीपली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
- 4 संग्राम सिंह पिता भोपाल सिंह राजपूत निवासी पीपली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
- 5 श्रीमति मनू कंवर पत्नी श्री केसर सिंह राजपूत निवासी पीपली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
- 6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 20.06.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 04.06.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है ग्राम पीपली पटवार हल्का पीपली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 752/2 रकबा 0.0759, आराजी नम्बर 755/1 रकबा 0.3920, आराजी नम्बर 756 रकबा 0.3794 आराजी नम्बर 757/2 रकबा 3.2624 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं वेपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.06.2019 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 06 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम पीपली पटवार हल्का पीपली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 752/2 रकबा 0.0759, आराजी नम्बर 755/1 रकबा 0.3920, आराजी नम्बर 756 रकबा 0.3794, आराजी नम्बर 757/2 रकबा 3.2624 भूमि कि पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 20.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दपतर रहे।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ